15/5/24

बार-बार आवाज लगवाने के बाद भी न तो अपील न ही अपील अधिवक्ता उपस्थित हुये। पत्रावली अपर तहसीलदार अटेर पैरवी में खारिज की जाती है। पत्र-फैसल शुमार की जाकर नंबर से कम की जावें। बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

(भूपेन्द्र सिंह)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर